



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर गैर इरादतन हत्या के अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹10,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मझगवां में पंजीकृत अ०सं०- 102/2016 धारा 304 भा०द०सं० में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय एडीजे प्रथम जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त मइयादीन पुत्र मुकुन्दलाल निवासी इटौरा थाना मझगवां जनपद हमीरपुर को 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹10,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी सुभाष  
कुमार श्रीवास्तव



विवेचक  
उ०नि० प्रभुराज  
सिंह



पैरोकार थाना मझगवां  
का० सर्वज्ञ सिंह